तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26/6/24	बाबूलाल बनाम अभियोक्ता पक्ष की ओर से एडवोकेट हेमन्त कुमार व बचाव पक्ष ला. वि. के अभियोक्ता पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षी प्रकरण के लोग गवाह नहीं पहुंचे तथा पत्रावली में किसी प्रकार का भागाया गवाह का अनुसंधान पाया गया है पक्षी प्राप्त करना नहीं चाहता है विवेक प्रा. पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक किया जाता है इस्तगासा की ओर से पक्षी का प्रार्थना पत्र 25 A जरिये रजिस्टर्ड डाक किया जाता है पत्रावली डिमांड मुकदमा कोर्ट नम्बर के रखा है। [illegible]